प्रबन्ध मण्डल की 27 वीं बैठक दिनांक 16-07-2016 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 27 बैठक दिनांक 16-07-2016 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. बेला भनोत (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज. सरकार)	सदस्य
4.	डॉ. एस. एन. शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
5.	डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6.	प्रो. कैलाश डागा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
7.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
8.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
9.	श्री यशवंत सिंह भाकर	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विशेषकर पुनः मनोनीत सदस्य डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, प्रो. एम.एम. सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. बेला भनोत, प्राचार्या, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर एवं कुलसचिव श्री यशवंत सिंह भाकर का हार्दिक स्वागत किया। प्रबन्ध मण्डल के निवर्तमान सदस्यों डॉ. संजय नीलकंठराव, डॉ. भुवनेश गुप्ता एवं श्री भंवर सिंह चारण द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधायक सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी एवं डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित कराया :-

1. माननीय सदस्य एवं विधायक डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में सेवानिवृत कार्मिक के रूप कार्यरत सुश्री शिमला नरूका ने विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षा टीम को उनके एवं प्रबन्ध मण्डल के अन्य सदस्यों के सम्बन्ध में अवांछनीय एवं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मौखिक टिप्पणी की जो उचित नही है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन एवं विधायक सदस्य को अवगत कराया कि सम्बन्धित सेवानिवृत कार्मिक का तत्काल प्रभाव से अन्यत्र अनुभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया तथा उसे कठोर भाषा में चेतावनी भी दे दी गई हैं। उक्त कार्यवाही से माननीय विधायक एवं अन्य सदस्य संतुष्ट नही होने के

कारण सदन द्वारा सेवानिवृत कार्मिक सुश्री शिमला नरूका की सेवाएं तत्काल समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. माननीय विधायक सदस्य एवं डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने दैनिक संविदा कर्मियों द्वारा पारिश्रमिक में वृद्धि करने के सम्बन्ध प्रस्तुत ज्ञापन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराया। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि दैनिक संविदा श्रमिकों की सेवाएं संविदा पर (ठेका प्रणाली) ली जा रही है एवं संविदा दरों के अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है, तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त भुगतान राज्य सरकार द्वारा कुशल कार्मिकों को देय न्यूनतम मजदूरी से कम नही हो। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने उक्त निर्देशों के अनुरूप भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की राशि की कटौती के सम्बन्ध में जानकारी चाही। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि संविदा कर्मियों की कटौतियां की जा रही है तथा शीघ्र ही इन्हे कटौती सम्बन्धी विवरण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु संवेदक को निर्देशित कर दिया जाएगा। साथ ही अध्यक्ष महोदया ने मत व्यक्त किया कि संविदा श्रमिकों को न्यूनतम राशि रू0 10,000/- प्रति माह होना उचित प्रतीत होता है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को आश्वस्त किया कि अन्य संस्थानों ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर आगामी निविदा के दौरान समुचित न्यूनतम अनुबन्ध राशि रखी जाएगी जिससे सदस्यों ने सहमति प्रकट की।

3. माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के पद हेतु दायर याचिका में पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी के बाबत उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिवक्ता को उचित प्रकार से फीड बैक नही दिया गया जिसके कारण न्यायालय द्वारा निर्णय में ऐसी टिप्पणी की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिवक्ता को प्रस्तुत जवाब/प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का पक्ष सही प्रकार से नही रखे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराने का निर्देश दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/331

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 एवं 27-02-2016 के कार्यवाही विवरणों के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 एवं दिनांक 27-02-2016 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। कार्यवाही विवरणों की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 के कार्यवाही विवरण में डॉ. एस. एन. शर्मा को उपस्थित सदस्यों की तालिका में अंकित करते हुए प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 एवं दिनांक 27-02-2016 के कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/332

प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 एवं 27-02-2016 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 एवं दिनांक 27-02-2016 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : पालना प्रतिवेदन ।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा पालना प्रतिवेदनों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/333

विश्वविद्यालय में नवीन कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य के मनोनयन हेतु प्रस्ताव :-

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ. 31(4)आरबी/2011/4340 दिनांक 26 मई, 2016 के अनुसार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 11 (1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नवीन कुलपति की नियमित नियुक्ति किये जाने के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जाना अपेक्षित है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य का नाम, पद, पता, फोन, फैक्स, मोबाइल एवं ई-मेल आदि की सूचना राज्यपाल सचिवालय द्वारा चाही गई है।

अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 11 (1) (i) में दिये गए प्रावधानानुसार चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय या इसके किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो, का मनोनयन करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के नवीन कुलपति के चयन हेतु गठित होने वाली चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा सदस्य के मनोनयन हेतु माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल द्वारा प्रो. बी.आर. छीपा, कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम प्रस्तावित किया गया जिसका सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/334

विद्या परिषद की 15 वीं बैठक दिनांक 25-05-2016 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 15 वीं बैठक दिनांक 25-05-2016 को आयोजित हुई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण ।

निर्णय :- माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने मत व्यक्त किया कि विद्या परिषद के सदस्यों का दो वर्षीय कार्यकाल दिनांक 11-04-2016 को पूर्ण हो जाने के कारण दिनांक 25-05-2016 को विद्या परिषद वैधानिक रूप से अस्तित्व में नही थी, इसलिए दिनांक 25-05-2016 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा शीघ्र ही विद्या परिषद का पुनर्गठन कर बैठक आयोजित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय सदस्य डॉ. विमल

प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण को विद्या परिषद से अनुमोदन पश्चात ही प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/335

वित्त वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान एवं वित्त वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय के सामान्य एवं स्ववित्तपोषी योजना का वित्त वर्ष 2015-16 का संशोधित अनुमान एवं वित्त वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - बजट विवरणिका

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा बजट अनुमान पर विचार-विमर्श के दौरान डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने विभिन्न मदों में अनुमान से कम व्यय होने, बिल्कुल भी व्यय न होने एवं कुछ मदों में चालू वित्त वर्ष में राशि का समुचित प्रावधान नही किये जाने का उल्लेख किया । उदाहरणार्थ :-

1. Seminar and Symposium हेतु पूर्व में आवंटित राशि खर्च नही हो पाई । इस मद में आवंटित राशि को खर्च किया जाना चाहिए।
2. Housing Building एवं Language Lab में व्यय राशि 0.00 अंकित है । यदि बजट में प्रावधान रखा जाता है तो उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। बजट में प्रावधान रखने के उपरान्त व्यय नहीं करना उचित नहीं है।
3. Printing of Question paper एवं Printing of Degree मद में व्यय राशि 0.00 अंकित की गई है जबकि उपाधि मुद्रित करवाई गई है तथा प्रश्न पत्र हेतु भी भुगतान किया गया होगा।
4. Lab Equipment में 200.00 लाख का प्रावधान रखा गया जबकि गत वर्ष व्यय मद में 0.00 अंकित है।
5. Construction of Indoor Sports Complex हेतु 5.00 करोड का प्रावधान किया जावे। Construction of Central Store,Record Room and Ext. of Guest House में गत वर्ष प्रावधान रखा गया परन्तु इस वर्ष कोई प्रावधान नही है ।

प्रश्न पत्र मुद्रण एवं उपाधि मुद्रण पर व्यय के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि बजट में 31 मार्च तक का व्यय सम्मिलित किया गया है। उसके उपरान्त किये गए भुगतान को सम्मिलित नही किया जाता है, इसलिए इन मदों में व्यय प्रकट नही हुआ। डॉ. अग्रवाल ने सुझाव दिया कि परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों/संस्थाओं को प्रदत्त अग्रिम राशि का शीघ्र समायोजन किया जाना चाहिए। सदन ने डॉ. अग्रवाल के सुझाव से सहमति प्रकट की।

विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निम्न संशोधन के साथ वित्त वर्ष 2015-16 का संशोधित अनुमान एवं वित्त वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :-

1. Sollar Plants & Lighting हेतु 50.00 लाख का प्रावधान संशोधित किया जावे।
2. V.C. Residence & Registrar Residence के लिए रखे प्रावधान में निविदा राशि के अनुसार संशोधन किया जावे।
3. Recovery of Vehicle Charge के स्थान पर University Vehicle Charges नाम से शीर्षक संशोधित किया जावे।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/336

विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना महाविद्यालयों द्वारा संकाय बंद करने के कारण सम्बद्धता एवं विलम्ब शुल्क की वसूली/छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

(i) प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17-12-2011 के विनिर्णय संख्या 192 के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषयों को चरणबद्ध (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष) रूप से बंद करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा पाठ्यक्रम/विषय के तृतीय वर्ष संचालन तक महाविद्यालयों को सम्बद्धता शुल्क जमा कराना आवश्यक है। कुल महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम/विषयों यद्यपि बंद तो चरणबद्ध रूप से किया जाता है किन्तु विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष में सूचित किया जाता हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय विनियम के प्रावधानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आगामी दो वर्ष के सम्बद्धता शुल्क/विलम्ब शुल्क की मांग की जाती है जबकि पाठ्यक्रम का संचालन बंद हो जाने के कारण महाविद्यालयों द्वारा शुल्क जमा नही कराया जा रहा है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा संकाय चरणबद्ध रूप से बंद करने की बजाय छात्र संख्या अंतिम वर्ष में छात्र संख्या शून्य होने पर अपने स्तर पर बंद कर सूचना विश्वविद्यालय को भेजी प्रेषित की गई। इसी क्रम में कई महाविद्यालयों ने तो विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क मांगने पर सूचित किया कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्र संख्या नही होने के कारण बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय विनियमानुसार किसी भी महाविद्यालय को नवीन सम्बद्धता/संकाय प्रारम्भ करने अथवा बंद करने के लिए सत्रारम्भ वर्ष के पूर्व 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में आवेदन करना होता है। परन्तु महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम बंद करने की सूचना यथा समय नही दिये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों को विलम्ब शुल्क सहित सम्बद्धता शुल्क जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु महाविद्यालयों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि पाठ्यक्रम पूर्णत: बंद होने व छात्र संख्या शून्य होने के कारण सम्बद्धता शुल्क माफ किया जाए।

(ii) राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ ने 2009-10 में एम.ए. राजनीति विज्ञान एवं बी.ए. में सैन्य विज्ञान में छात्रों के प्रवेश नही होने कारण बंद कर दिये गए। इसी प्रकार बी.आर.जी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा यत्र 2010-11 एवं 2011-12 में एम.एससी. वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, एम.फिल. हिन्दी व राजनीति विज्ञान की कक्षाओं का संचालन नही होने के कारण महाविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम बंद कर दिये गए। प्राचार्य बी.आर.जी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा सम्बद्धता मय विलम्ब शुल्क राशि रू. 3.20 लाख एवं राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ द्वाा राशि रू. 60,000/- माफ करने हेतु निवेदन किया है।

अत: महाविद्यालयों द्वारा यथा समय विश्वविद्यालय को सूचित किये बिना बंद किये गए पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता/विलम्ब शुल्क माफ करने अथवा वसूली करने के निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार महाविद्यालयों को संकाय/विषय का संचालन बंद करने हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही महाविद्यालयों द्वारा संकाय/विषय का संचालन बंद किये गए है तथा उनका सम्बद्धता शुल्क भी विश्वविद्यालय में जमा कराया है परन्तु महाविद्यालयों द्वारा संकाय/विषय बंद करने की सूचना निर्धारित अवधि में विश्वविद्यालय को प्रदान नही किये जाने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों पर सूचना प्रदान के सत्र से क्रमबद्ध रूप से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष से पाठ्यक्रम का संचालन बंद करने की शर्तो के अनुसार सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालयों का अनुरोध है कि संकाय/विषय बंद किये जाने की जानकारी यद्यपि

विश्वविद्यालय को निर्धारित अवधि के पश्चात दी गई है परन्तु महाविद्यालयों द्वारा संकाय/विषय को चरणबद्ध रूप से बंद किया गया है एवं अंतिम वर्ष के संचालन तक सम्बद्धता शुल्क भी विश्वविद्यालय में जमा कराया गया है। अंततः संकाय/विषय बंद होने एवं छात्र संख्या शून्य होने के कारण पश्चातवर्त्ती सत्रों के लिए सम्बद्धता एवं विलम्ब शुल्क की मांग न्यायोचित नहीं है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा महाविद्यालयों के व्यवहारिक अनुरोध को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

1. जिन महाविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम/विषय संचालन के अंतिम वर्ष तक की सम्बद्धता शुल्क राशि जमा करा दी गई उनको पश्चातवर्त्ती सत्रों (संकाय/विषय पूर्णतः बंद होने पर) के सम्बद्धता शुल्क/विलम्ब शुल्क जमा कराने में छूट प्रदान की जाए।
2. जिन महाविद्यालयों ने चरणबद्ध रूप से पाठ्यक्रम/विषयों का संचालन तो बंद कर दिया किन्तु सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराया, उनसे नियमानुसार सम्बद्धता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त किया जावे।
3. जिन महाविद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना उस सत्र के 31 अगस्त तक विश्वविद्यालय को प्रदान नहीं करने पर 5000/- रू. की शास्ति आरोपित की जावे।
4. महाविद्यालयों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना द्वितीय सत्र के 31 अगस्त तक प्रदान नहीं करने पर 10,000/- रू. की शास्ति आरोपित की जावे।
5. महाविद्यालयों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में संकाय/विषय का संचालन बंद करने की सूचना तृतीय वर्ष के 31 अगस्त तक प्रदान नहीं करने पर 15000/- की शास्ति आरोपित की जावे।
6. राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उक्त अवधि में राज्य सरकार को सूचित किये जाने पर शास्ति आरोपित न की जाए।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/337

विश्वविद्यालय परिसर में उद्यान विकसित कर स्वामी विवेकानन्द एवं शहीद भगत सिंह के नाम से नामकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष एवं अन्य छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय कुलपति महोदया को ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय परिसर में उद्यान विकसित कर स्वामी विवेकानन्द एवं शहीद भगत सिंह के नाम से नामकरण करने का अनुरोध किया गया है। छात्रों की भावना अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में दोनो शैक्षणिक भवनों के सामने स्थित खाली स्थान पर उद्यान विकसित किये जाने प्रस्तावित है। साथ ही उद्यान को स्वामी विवेकानन्द एवं शहीद भगत सिंह के नाम से नामकरण करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में दोनो शैक्षणिक भवनों के सामने स्थित खाली स्थान पर उद्यान विकसित करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही उद्यानों का नामकरण स्वामी विवेकानन्द एवं शहीद भगत सिंह के नाम से करने के लिए स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-27/2016/338

दिनांक 04-11-2015 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 26वी बैठक स्थगित होने के कारण उक्त बैठक में प्रस्तुत किये गए एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 04-11-2015 को आयोजित हुई थी। तत्समय विभिन्न कारणों से बैठक स्थगित हो जाने के कारण उक्त बैठक में रखे गए एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार नही हो सका। अतः प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 04-11-2015 में रखे गए एजेण्डा बिन्दु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

संलग्न - एजेण्डा बिन्दु

बिन्दु संख्या 321 :- प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 एवं विशेष बैठक 03-09-2015 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव ।

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 के कार्यवाही विवरण (एजेण्डा संख्या 298) में ''चंकि प्रकरण आगे भी आया है इसलिए इस पर विस्तृत विचार विमर्श वही हो जाएगा तद्नुसार विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया'' को विलोपित करते हुए प्रबन्ध मण्डल की 25 वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 एवं विशेष बैठक दिनांक 03-09-2015 के कार्यवाही विवरणों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या 322 :-प्रबन्ध मण्डल की 25वीं बैठक दिनांक 22-07-2015 एवं विशेष बैठक 03-09-2015 में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट अनुमोदन का प्रस्ताव -

<u>निर्णय</u> :-

एजेण्डा बिन्दु (276 (i)) वेतन संरक्षण के सम्बन्ध प्रो. सुरेश अग्रवाल के पूर्व विभाग (जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ मानित् विश्वविद्यालय, उदयपुर) में धारित पद राज्य सरकार से अनुदानित/स्वीकृति के सम्बन्ध में चाही गई जानकारी जो विश्वविद्यालय को हाल ही में प्राप्त हुई है उसे समिति सदस्यों को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 303 - विश्वविद्यालय शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश दिनों में उपस्थिति की एवज में राज्य सरकार के नियमानुसार 3:1 के अनुपात में एक सत्र में अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश प्रदान किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 310- प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर अथवा राज्य सरकार में समकक्ष पदों देय सुविधाओं के आधार पर मोबाइल/दूरभाष/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा अस्वीकार करते हुए विनिर्णय संख्या 310 की पालना में जारी आदेशानुसार ही मोबाइल/दूरभाष/इन्टरनेट की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 311 - परीक्षात्मक कार्यो यथा प्रश्न पत्र निर्माण, केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, मंत्रालयिक कार्मिक एवं अन्य परीक्षात्मक कार्यो हेतु प्रदान किये मानदेय में वृद्धि करने हेतु कुलपति समन्वय समिति की बैठक में निर्णित करवाने हेतु कुलपति महोदया से अनुरोध किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 313 - विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यो हेतु निर्माण एजेन्सी निर्धारित करने के लिए राजस्थान आवास विकास व इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय लोक निर्माण निर्माण विभाग की विभागीय प्रभार दरें (Departmental Charges) अन्य निर्माण एजेन्सीज की तुलना में कम होने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य करवाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 314 - विश्वविद्यालय में कार्मिकों की पदोन्नति हेतु नियमों में संशोधन करने हेतु प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यालय सहायक एवं अनुभाग अधिकारी के पदो पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की स्थिति में शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पद सीधी (खुली) भर्त्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या 325 :-विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो यथा योग्यताधारी प्राचार्य/व्याख्याता, भूमि-भवन, एण्डोमेन्ट फण्ड आदि की पालना न करने के फलस्वरूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा समय-समय पर लगाई गई शास्तियों के संदर्भ में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

<u>निर्णय</u> :- माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि योग्यताधारी प्राचार्य, व्याख्याता, महाविद्यालय का भवन एवं एडोमेंण्ट फण्ड का अभाव होने के कारण प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति कराने हेतु दण्ड स्वरूप महाविद्यालयों पर शास्ति आरोपित की थी। उक्त आदेश की पालना में कुछ महाविद्यालयों द्वारा शास्ति राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करवा दी गई परन्तु बहुत से महाविद्यालयों द्वारा शास्ति राशि जमा नही कराई गई जिसके कारण उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि के प्रकरण लम्बित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित की गई शास्ति की समीक्षा हेतु प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार समिति का गठन किया गया था जिसकी अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है। माननीय सदस्य डॉ. एस.एन. शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि प्रबन्ध मण्डल की समिति की अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षक दल नियुक्त किये गए परन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण करवाने से मना कर दिया गया जो उचित नही है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा समिति की अनुशंसा को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निम्नानृसार निर्णय लिये गए है :-

1. सत्र 2011-12 तक जिन महाविद्यालयों पर शास्ति लम्बित है ऐसे महाविद्यालयों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक शास्ति राशि जमा कराने हेतु निर्देशित करावे।
2. समस्त महाविद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए 31 दिसम्बर, 2016 तक सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति करने की शर्त पर सत्र 2012-13 से सत्र 2015-16 के लिए शास्ति आरोपित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसम्बर, 2016 तक जो महाविद्यालय सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नही करते है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

3. जिन महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2012-13 से सत्र 2015-16 की आरोपित शास्ति जमा करवा दी गई है तथा ऐसे महाविद्यालय वर्तमान में सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति कर रहे है, ऐसे महाविद्यालयों द्वारा जमा कराई गई शास्ति राशि का समायोजन किया जाए।

बिन्दु संख्या 326 :-अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि में संशोधन एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षक एवं मैनेजर के भत्तों में संशोधन का प्रस्ताव :-

<u>निर्णय</u> :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. प्रस्ताव में अंकित ब्लेजर में कम्पनी का नाम नही रखा जावे।
2. पश्चिम क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाडी को राशि रू. 3000/- नगद पुरूस्कार अंकित किया जावे।
3. अन्तर विश्वविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं भाग लेने वाले खिलाडियों बिन्दु संख्या 04 की राशि रू. 100/- (Conveyance charge for local Manager/Coaches during the coaching camp) की गई।
4. Contingency Charge and other expenses for the team अधिकतम राशि रू. 300/- (after submitting the bill) निर्धारित की गई।
5. अन्तर महाविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अंशदान राशि प्रस्तावनुसार 04 श्रेणियों विभाजित कर खेलबोर्ड को खेल प्रतियोगिता के अनुसार राशि जारी करने हेतु अधिकृत किया गया।
6. खेल बोर्ड की बैठक में भाग लेने पर सदस्यों को राशि रू. 500/- बैठक भत्ता स्वीकृत किया गया।
7. माननीय अध्यक्ष महोदया ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को सबसे अधिक पदक साईकिलिंग में प्राप्त हुए है। साईकिलिंग एसोसिशन की मांग है कि विश्वविद्यालय में वेलोड्रम का निर्माण करवाया जावे ताकि विश्वविद्यालय के खिलाडियों को अभ्यास करने में सुविधा हो सके। उक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा बजट में प्रावधान करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल में शिक्षकों को ही लगाया जाना चाहिए जिसके लिए निरीक्षक पैनल बनाया जावे । किसी निरीक्षक द्वारा तीन बार असहमति प्रदान करने पर उस शिक्षक को 03 वर्ष तक निरीक्षक पेनल से हटा दिया जावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव